आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
19.04.2023	**वाद संख्या–05 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम ने यह कहा कि लाभुक अनाज लेने को इच्छुक नहीं है। लेकिन सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्ता ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम की बातों को गलत बताते हुए कहा कि उन्हें डीलर द्वारा 01 कि0ग्रा0 कम अनाज लेने के लिये बाध्य किया जाता है, इसलिए उन्होंने अनाज लेने से इंकार कर दिया है। आयोग शिकायतकर्ता की सराहना करता है। आयोग चाहता है कि हर लाभुक अपने अधिकारों के लिये तब तक लड़े, जब तक उनका अधिकार उन्हें नहीं मिल जाता है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वे ऐसे सभी लाभुक जिन्हें अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया या जिन्होंने कम अनाज दिए जाने पर अनाज लेने से इंकार किया है, उन सभी को सवा गुणा मुआवजा के साथ अनाज उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण 15 दिनों के अन्दर आयोग को भेजें एवं जिस डीलर द्वारा कम अनाज देने की बात कहा गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराया जाय। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आयोग के आज के आदेश के अनुपालन का प्रमाण यदि अगली सुनवाई तक नहीं भेजा गया, तो आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के खिलाफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् कार्रवाई करने को बाध्य होगा। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–16.05.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–16.05.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx51	